

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

69, जानकमरा) ..... निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा - (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए  
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं प्रेम सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी पि.रु. सिंह आयु 35 वर्ष  
जो गाम - सराजा, त.द. सतारगंज (उ.प्र. नगर) का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ  
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)  
का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए  
गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत  
करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं प्र.क्र. नं. 1688/2009 वर्तमान 154/2011  
(II) पुलिस थाना (थाने) जानकमरा जिला (जिले) श.प्र. नगर राज्य उत्तराखण्ड  
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके  
(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 152/323/504/406 I.P.C.  
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई आ.प्र. न्यायिक प्रक्रि. 0 लकीश  
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे 16-12-2009  
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा  
(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए  
सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया  
गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)


- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य  
(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है शून्य  
(III) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य  
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके  
(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है शून्य  
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे शून्य  
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं शून्य

स्थान:- सितारगंज

तारीख:- 10-1-2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान  
और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।  
सितारगंज स्थान पर आज तारीख 10-1-2012 को सत्यापित किया।



श्री. रावसेना  
श्री. रावसेना  
श्री. रावसेना

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर  
Yadub  
15 January 2012  
Prem Singh  
Ravi Sanyal Ad


भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

₹.10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL



ARAKHAND

14AA 221815

तारीख - 26

69 नामकमन्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
से डा० प्रेम सिंह पुत्र फिल सिंह निवासी  
- गा० सरौजा तह०-खिलाहोज्य के शपथपत्र

का भाग

*Handwritten signature*

हो शपथकर्ता

